कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

मकान नं. – 40, आनन्द नगर रायपुर (छ.ग.) 492006

फोनः – 0771–2444591 ईमेलः– cspcraipur@gmail.com वेबसाईटः– www.cspc.in

क्रमाँक/सी.जी./फार्मा/लेखा/2024/652 रायपुर, दिनाँक :–27/06/2024

►कार्यशाला आयोजन हेतु गाइडलाईन◄

1. कार्यशाला आयोजन में सहयोग करने हेतु किसी एसोसिएशन/संस्था से प्रस्ताव/आवेदन आने पर काउन्सिल द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा तथा तिथि का निर्धारण काउन्सिल की सहमति से किया जायेगा।

2. कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल रायपुर है, इसलिए कार्यक्रम की गरिमा एवं गम्भीरता का विशेष ध्यान रखा जावे।

3. कार्यक्रम में सभी क्षेत्र में कार्य करने वाले फार्मासिस्टों की सहभागिता आवश्यक है, जिले के सह-आयोजक सभी फार्मासिस्टों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

4. कार्यक्रम मात्र किसी एसोसिएशन/संस्था का नहीं होना चाहिए, अपितु सभी क्षेत्रों के फार्मासिस्ट को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रेरित करना आवश्वयक है। कार्यशाला में भाग लेने वाले फार्मासिस्टों की सूची काउन्सिल कार्यालय से प्राप्त कर जिले के फार्मासिस्टों को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

5. कार्यशाला में वक्ता के व्याख्यान के समय फामासिस्टों की उपस्थिति संख्या अधिकतम व सम्मानजनक होनी चाहिए।
   - कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले वक्ता का निर्धारण काउन्सिल द्वारा किया जायेगा।
   - कार्यशाला में वक्ता एकेडमिक क्षेत्र, एफडीए तथा ट्रेड/डिस्पेंसिंग व फार्मेसी से जुड़े अन्य क्षेत्र से सम्बंधित होगा।

6. कार्यक्रम में पूर्ण रूप से फार्मेसी प्रोफेशन व फार्मासिस्ट ज्ञान उन्नयन से सम्बंधित ही चर्चा होनी चाहिए।

7. सम्बंधित जिले के फार्मासिस्टों को कार्यशाला आयोजन की सुचना पहुंचाने का दायित्व कार्यशाला आयोजित कराने वाले सहयोगी संस्था का होगा। छ.ग. स्टेट फार्मेसी काउन्सिल द्वारा ही शासकीय कार्यालयों व अन्यत्र पत्राचार किया जायेगा।

8. कार्यशाला हॉल में केवल छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के बैनर/फ्लैक्स लगाये जा सकेंगे।

9. बैनर/फ्लैक्स के लिए टेम्पलेट/फार्मेट छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल कार्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसका सहयोगी सह-आयोजक को पालन करना अनिवार्य है। सह-आयोजक को केवल बैनर/फ्लैक्स के आकार में अपने सुविधानुसार परिवर्तन करने की छूट होगी।

10. छोटे जिलों के कार्यशाला आयोजन हेतु 1,50,000/–रू.(एक लाख पचास हजार रूपये) तक तथा बड़े जिलों के लिए 2,50,000/–रू.(दो लाख पचास हजार रूपये) तक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इससे अधिक राशि खर्च होने पर सहयोगी संस्था को वहन करना होगा।

11. सहयोगी सह-आयोजक द्वारा कार्यशाला में उपस्थित फार्मासिस्ट का नाम, मोबाईल नम्बर, उनके कार्यस्थल व हस्ताक्षर सहित समस्त उपस्थित फार्मासिस्ट की सूची काउन्सिल को प्रदान करना होगा।

12. कार्यशाला के लिए काउन्सिल द्वारा स्थल निरीक्षण उपरांत 50 प्रतिशत अग्रिम राशि जारी की जायेगी। कार्यक्रम पश्चात् कार्यक्रम में खर्च हुए बिल एवं विस्तृत रिपोर्ट काउन्सिल कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा। जमा किये गये खर्च के बिल का अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात शेष राशि जारी करने पर विचार किया जायेगा।

13. कार्यशाला के विभिन्न मदों में खर्च किये जाने वाले प्रस्तावित राशि का ब्यौरा 50 प्रतिशत राशि आहरण के पूर्व जमा करना आवश्यक है। यथोचित और न्यायसंगत होने पर 50 प्रतिशत राशि जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित खर्च यथोचित और न्यायसंगत नहीं होगा तो जारी किये जाने वाले राशि का प्रतिशत कम किया जायेगा।

14. कार्यक्रम के पश्चात् वितरित किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्मेट या टेम्पलेट भी छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल कार्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

15. कार्यशाला में भाग लेने वाले पंजीकृत फार्मासिस्टो को प्रमाण पत्र तैयार कर प्रतिभागियों को वितरित किया जायेगा।

16. कार्यक्रम पश्चात सहयोगी सह-आयोजक द्वारा कार्यशाला की खबर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में फोटोग्राफ सहित प्रकाशित करना आवश्यक है। जिसे छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल को अवगत कराना होगा।

17. कार्यशाला समाप्ति उपरांत कार्यशाला के आरंभ से लेकर समाप्ति तक का ब्यौरा (संक्षिप्त में) प्रदान करना होगा।

18. यथासंभव कार्यशाला के विभिन्न एंगल से लिये गये फोटो प्रदान करना होगा।

19. कार्यशाला का आयोजन पूरी तरह से रजिस्ट्रार की देख-रेख व निर्देशों के अधीन होगा तथा किसी भी विषय पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

27/06/2024

(अश्वनी गुर्देकर)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)